



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 22 जुलाई, 2020

आषाढ 31, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 9/2020-734-तीस-4-2020

लखनऊ, 22 जुलाई, 2020

अधिसूचना

### सा०प०नि०-46

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव के कारण घोषित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल, लोक सेवा यानों के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 2020 और मई, 2020 हेतु धारा 4 के अधीन संदेय कर और धारा 6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, अग्रतर माल वाहनों के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 2020 हेतु धारा 4 के अधीन संदेय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं।

ऐसे यानों के स्वामी, जो पहले ही सम्बन्धित अवधियों हेतु करों एवं अतिरिक्त करों का भुगतान कर दिये हैं, कर एवं अतिरिक्त कर के प्रतिदाय या समायोजन के दायी होंगे।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 9/2020/734/ XXX-4-2020, dated July 22, 2020:

No. 9/2020/734/ XXX-4-2020

*Dated Lucknow July 22, 2020*

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), and in view of the lockdown declared due to spread of corona virus (Covid-19), the Governor is pleased to exempt from the payment of tax payable under section 4 and additional tax payable under section 6 in respect of Public service vehicles for the month of April, 2020 and May, 2020.

The Governor of Uttar Pradesh in exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), is further pleased to exempt from the payment of tax payable under section 4 in respect of Goods Vehicles for the month of April, 2020.

The owners of such vehicles who have already paid the taxes and additional taxes for concerned periods shall be liable for refund or adjustment of tax and additional tax.

By order,

RAJESH KUMAR SINGH,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 126 राजपत्र-(हि०)-2020-(257)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० परिवहन-2020-(258)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।